न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 40/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1. प्रकाश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण गुरू(गर्ग) निवासी–हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती लहरी बाई पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण गुरु(गर्ग) निवासी–हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. अजीज मोहम्मद पुत्र श्री इमामबक्ष मुसलमान निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

.....
अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री दिनेश मण्डोवरा**
अप्रार्थीगण संख्या 1 अनुपस्थित
पेरोकार सरकार विपक्षी क्रम 2 उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.09.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 04.07.2019 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू. अभि.निरीक्षक हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी संख्या 3137 रकबा 0.4552 है भूमि स्थित है । जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है।

प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात में आने जाने का एकमात्र रास्ता [illegible] आम रोड से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 3136 [illegible] होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आ[illegible] आते जाते है, जि[illegible] प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज,ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजो के स[illegible] से लाते ले लाते [illegible] उक्त रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.02.18 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है।

प्रार्थीगण उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षीगण की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हडप करने की गरत से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये । जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 05 पांच मई 2019 दो हजार उन्नीस को रास्ते में अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये।

उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिर्पोट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करें।

उपरोक्त खातेदारों से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 3137 में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि हमीरगढ से मंगरोप रोढ से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 3136 की पूर्वी मेड से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 3136 की पूर्वी मेड से होकर होते हुए प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीया तमे आता जाता है, को रास्ता से 15 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 04.07.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 विधिवत सूचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई दिनांक 04.03.2021 पर अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु गैर हाजिर रहने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01, एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.02.18 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा नियत सुनवाई [illegible] 12.01.2021 पर तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र निर्देश दिये [illegible] रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, न[illegible] हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार हमीरगढ मार्फत [illegible] भू अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ से तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

हमने प्रकरण में भू.अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा हमीरगढ स्थित आराजी संख्या 3136 में से 120 व.मी, अथवा 0.0120 है0 एवं आराजी संख्या 4285/3111 में से 170 व.मी. अथवा 0.0170 है0 भूमि कुल भूमि 290 व.मी. अथवा 0.0290 हैक्टयर भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिध्रति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु तहसीलदार मार्फत भू. अभि.नि से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल मात्र 0.0290 हैक्टयर यानि लगभग 15 फिट का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी संख्या 3136 में से 120 व. मी, अथवा 0.0120 है0 एवं आराजी संख्या 4285/3111 में से 170 व.मी. अथवा 0.0170 है0 भूमि कुल भूमि 290 व.मी. अथवा 0.0290 हैक्टयर रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाकर मौजा हमीरगढ स्थित आ.न. आराजी नम्बर 3137 रकबा 0.4552 है0 में आने जाने हेतु आराजी संख्या 3136 में से 120 व.मी, अथवा 0.0120 है0 एवं आराजी संख्या 4285/3111 में से 170 व.मी. अथवा 0.0170 है0 भूमि कुल भूमि 290 व.मी. अथवा 0.0290 हैक्टयर में से रास्ता चाहते है। प्रार्थिया के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा स्थित 3137 रकबा 0.4552 है0 में आने जाने हेतु आराजी संख्या 3136 में से 120 व.मी, अथवा 0[illegible] एवं आराजी संख्या 4285/3111 में से 170 व.मी. अथवा 0.017[illegible] अथवा 0.0290 हैक्टयर भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी [illegible] किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार हमीरगढ द्वारा कि[illegible] जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.02.18 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीर[illegible]

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 3136 में से 120 व.मी, अथवा 0.0120 है0 एवं आराजी संख्या 4285/3111 में से 170 व.मी. अथवा 0.0170 है0 भूमि कुल भूमि 290 व.मी. अथवा 0.0290 हैक्टयर) के पक्ष में तहसीलदार हमीरगढ के यहां प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर अनुसार रकबा 0.0290 हैक्टयर मालियत राशि की दोगुनी राशि (0.0290 हैक्टयर) की राज्य कोष/अप्रार्थीगण संख्या 01 को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.02.18 15:37:01 IST
Reason: SelfAttested